

सं. ११५/२ (१)/१४-११६-१- इंडियन फारेस्ट ऐक्ट,
१९२७ (ऐक्ट नं० १९, १९२७ ई०) की प्रा. ३० द्वारा प्राप्त अधिकारों
को प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि
तत्कालीन विधान सं. ११५/२४-३१-२०- विनांक १० फरवरी,
१९२७ द्वारा संरक्षित (Protected) घोषित किये गये वनों में निम्न-
लिखित वर्गों के लिये तथा जंगल हुए ये वन विकसित के विनांक से
रक्षित (Reserve) रहेंगे।

१ बबलू	१२ कनका
२ और	१३ बमल
३ अर	१४ भाक
४ लकीर सिर	१५ बमल तास
५ हल्लू	१६ गु
६ काला सिरिस	१७ लडा
७ नीम	१८ लकयती बीबन (सितसाल)
८ कचन	१९ लोखन
९ रिवाज	२० यके कपूत
१० बाकडी	२१ पालन
११ मठभा	२२ पाल पतनी, (पुननी)
१२ सात	२३ लन जपेली
१४ तार चर १	२४ लू
१५ वेद बिलासा	२५ मोहरी
१६ गोवगुवाला	२६ सीता
१७ सिहोर	२७ अथी
१८ अणुन	२८ बिलासी बबलू
१९ बरगर	२९ छोर
२० मिलर	३० गोड मोहर (मिल मोहर)
२१ भाकड	३१ कन
२२ पीपल	३२ खर
३३ लोपा	३३ हुमी
३४ महार या बनार	३४ बडी
३५ कल या पापडी	३५ असा या सेने
३६ सागीन	३६ गुडे
३७ कन	३७ सागीन या टीक
३८ आम	३८ रीडा
३९ और	

पशुपालन विभाग

इति

१३ फरवरी, १९६० ई.

तं. ६०७/१२-ई-७७७ (११)-५७-संकारी विमान-संख्या
 ११/१२-ई-७४९ (११) ५७, विमान २१ मार्च, १९५९ ई. के क्रम
 श्री बी० डी० कापरी, सहायक प्रोक्टर, रिपब्लिकेन विमान
 बीडिंग प्रोचिकित्सा विमान, गुणा प्रोचिकित्सा, गुणाप्रोचिकित्सा, गुणाप्रोचिकित्सा
 निजी मामले की एक बात को १५ जनवरी, १९६० ई. से १४
 फरवरी, १९६० ई. तक तत्पश्चात् असाधारण छुट्टी १५ फरवरी,
 १९६० ई. से ३० जून, १९६० ई. की स्वीकृत की जाती है यदि
 निजी मामले की छुट्टी पूर्ण रूप से एशिया से बाहर बितायी जा जाय ।

आज्ञा से.

स. कुमार, तलवार,
सचिव ।

विद्युत् विभाग

बुद्धी

११. फरवरी, १९६० ई०

सं. १९६-ई (१०)/२३-पी-बी-१८-ई-एच-५९-बी वल्लभ
वाल सेठ, एमजीएम टिफ्ट इन्स्टीट्यूट, हाउसिंग विभाग, गाँवा को
१० दिन की उपजाति छुट्टी १ नवम्बर, १९५९ से स्वीकृत की जाती
है।

पुनः विचार्यते - अथवा -

आज्ञा से,
बी० बी० लाल,
आयुक्त एवं सचिव।

वित्त (ग्राम-व्ययक) विभाग

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

विधिधि

प्रा. ५-४ फरवरी, १९६० ई०

सं. बी-७५५१/१-१०२-१-१-एमिलक डेट ऐक्ट, १९४४
(ऐक्ट सं. १०, १९४४) का मारा १९४४ विधायी (१) के अनुसार
तथा इस विषय में जारी की हुई पिछली समस्त विज्ञापितियों को अवि-
कांत करके उत्तर प्रदेश के मुख्यपालास घोषित करते हैं कि उत्तर-प्रदेश
सरकार द्वारा जारी की गयी उन प्रतिष्ठितियों के सम्बन्ध में जिन पर
उक्त ऐक्ट लागू होता है, उत्तर-प्रदेश के उपराध, निम्नलिखित
सरकारी कार्यालयों पर लागू होंगे-

सं. बी-७५६०/१०-१०-५२-३-विधान सचिवरीस्टोन एजेंडा,
१९२० (एजेंडा सं. १०, १९२०) के अन्तर्गत १ की उपधारा (१) के
अनुसार तथा इस निर्णय में 'सार' की शब्दों में पिछली संश्लेष निमित्तियों को
अधिकृत करने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल घोषित करते हैं कि उत्तर
प्रदेश सरकार द्वारा 'सार' की शब्दों, उन प्रतिष्ठितियों
के सम्बन्ध में, जिन पर उक्त एजेंडा लागू होता है, उक्त उपधारा के
अपवाद निर्मलसिंह सरकार की कार्यविधियों पर लागू होगे—

भारत सरकार के सार्वजनिक कार्यालय

एकाउन्वेन्स जनरल ।

एकानवस आफिसस आफ रेलवेज अखर कंसद्रेशन ।

एकर आफिसर कमांडिङ्ग, हेडक्वार्टर्स, संख्या १ पुप ।

ए० एफ०, बंगलौर।

॥ अथ, अफिसर, कमांडिङ्ग-इन्-चार्ज-हेडक्वार्टर्स आपरेसन
कमांड, आई. ए. एफ., प्रालम ॥ ११ ॥

एअर आफिसर : दफ्तार : ऐम्प्लिफिकेशन, एअर हेडक्वार्टर
नई दिल्ली ।

चौ
ई० टैमिल
कामा
कामा
कामा
कामा
कामा
कामा
कामा

Executive Engineer
N.H. Div. P.W.D.
Lucknow

मिल	नाम सड़क	दूरी मील, क० और फीट	विवरण
१२-बस्ती	१-बी० टी० रोड गंगाधर हाई वे	८५ मील से १४८ मील तक योग ६४ मील	भूमि की सीमा परंपरी द्वारा अंकित की गयी है।
	२-बी० टी० रोड गंगाधर हाई वे	मील ८१ से ९२ बाईपासपुरी अन्तर्गत ११ मील	"
	३-बस्ती-दुधराम-बगुनी रोड	मील ५ क० ३ से मील ५५ क० ५/८ तक	"
	४-बस्ती-दुधराम-बगुनी रोड	मील १ से १५ क० १/४ तक	"
	५-बस्ती-दुधराम-बगुनी रोड	मील १ से १३ मील ० क० ३/४ तक	"
	६-बस्ती-दुधराम-बगुनी रोड	भूमि से २ क० तक	"
	७-बस्ती-दुधराम-बगुनी रोड	भूमि से ३२ मील २ क०	"
	८-बस्ती-दुधराम-बगुनी रोड	१ क० २३८ फीट से १ मील ६ क० तक	"
	९-बस्ती-दुधराम-बगुनी रोड	भूमि से १४ मील ३ क०	"
	१०-बस्ती-दुधराम-बगुनी रोड	भूमि से ५ मील ४ क०	"
	११-बस्ती-दुधराम-बगुनी रोड	भूमि से १६ मील ३३० फीट	"
४०-गोंडा	१-बहराइच-बलरामपुर रोड	मील २९ से ३९ तक	"
	२-गोंडा-बलरामपुर रोड	मील ० से २६ तक	"
	३-बलरामपुर-दुधरामपुर रोड	मील ० से १७ तक	"
	४-बलरामपुर-दुधरामपुर रोड	मील ० से १७ तक	"
	५-दुधरामपुर-नेपाल गोंडा रोड	भूमि से १५ तक	"
	६-बलरामपुर-गोंडा रोड	मील २४ से मील ४५ तक	"
	७-बलरामपुर-गोंडा रोड	मील ८ से मील ४९ तक	"
	८-गोंडा-बलरामपुर रोड	मील १ से ३२ (२ क०)	"
	९-बलरामपुर-गोंडा रोड	मील १ से ३७ (७ क०)	"
	१०-गोंडा-बलरामपुर रोड	मील १ से १२ (२ क०)	"
	११-बलरामपुर-गोंडा रोड	मील २८ से ३५ (७ क०)	"
	१२-बलरामपुर-गोंडा रोड	मील १ से ४ (३ क०)	"
	१३-बलरामपुर-गोंडा रोड	मील १ से ९ (६ क०)	"
	१४-बलरामपुर-गोंडा रोड	मील १ से ५ (२ क०)	"
४१-बहराइच	१-बलरामपुर-बहराइच रोड	मील ५० से मील ७४ तक	"
	२-बलरामपुर-बहराइच रोड	मील ० से ५० क० ६६२ फीट तक	"
	३-बलरामपुर-बहराइच रोड	मील ० से २ क० १९६ फीट तक	"
	४-बलरामपुर-बहराइच रोड	मील ० से ३ क० २९२ फीट तक	"
	५-बलरामपुर-बहराइच रोड	मील ० से ३ क० २९२ फीट तक	"
	६-बलरामपुर-बहराइच रोड	मील ० से १ क० ८५७ फीट तक	"
	७-बलरामपुर-बहराइच रोड	मील ० से ३ क० १६० फीट तक	"
	८-बलरामपुर-बहराइच रोड	१ मील से २७ तक	"
	९-बलरामपुर-बहराइच रोड	मील १ से १५ तक	"
	१०-बलरामपुर-बहराइच रोड	मील ३ से २९ तक	"
	११-बलरामपुर-बहराइच रोड	मील ० से २० मील ७ क० ३६० फीट तक	"

Executive Engineer
N.H. Div. P.W.D.
Lucknow